

Dispatch Number DIS/348661/2025 Date 11.12.2025

राज्य परियोजना कार्यालय

“उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्”

समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून
दूरभाष 0135-2781942

Website: <http://ssa.uk.gov.in> E-mail - spd-ssa-uk@nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132



विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत समग्र शिक्षा के राज्य एवं जनपद स्तरीय पर समन्वयकों के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय सेवा में शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत प्रवक्ताओं से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, राज्य व जनपदवार रिक्त पदों का विवरण एवं पद के सापेक्ष विस्तृत विवरण समग्र शिक्षा की वेबसाइट <https://ssa.uk.gov.in> एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://schooleducation.uk.gov.in> पर अपलोड/उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 सांय 05 बजे तक पंजीकृत डाक से राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Digitally signed by
MUKUL KUMAR SATI
Date: 11-12-2025
17:22:04

(डॉ० मुकुल कुमार सती),
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

“उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्”

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून

दूरभाष 0135-2781942

Website: <http://ssa.uk.gov.in> E-mail - spd-ssa-uk@nic.in

Toll Free Number:- 1800-180-4132



विज्ञप्ति

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निम्नलिखित पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	तैनाती स्थल	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
01	राज्य/जिला समन्वयक वेतन लेवल 8 के पदधारक	22	50 वर्ष	राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून एवं जिला परियोजना कार्यालय समस्त जनपद	विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय सेवा के शैक्षिक संवर्ग में वेतन लेवल 08 के पदधारक प्रवक्ता, जिनके द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को पदधारक पद पर न्यूनतम 05 वर्षों की अविरल एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो

1. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश एवं शर्तें:—

- 1.1 प्रतिनियुक्ति के समस्त नियम एवं शर्तें वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 287698/XXVII(10)/E-77990/2025 दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अधीन रहेंगे।
- 1.2 निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त वांछित योग्यताओं की प्रमाणित प्रतियों सहित **केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 1.3 वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रवक्ता इस विज्ञप्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- 1.4 आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- 1.5 आवेदन पत्र के साथ आवेदक को विगत 05 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वर्तमान में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन न होने सम्बन्धी स्व-हस्ताक्षरित एवं सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.6 पूर्व में यदि प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, तो मूल विभाग में न्यूनतम 05 वर्ष की कूलिंग पीरियड सेवा अनिवार्य होगी तथा सम्पूर्ण सेवा काल में 02 बार से अधिक प्रतिनियुक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 1.7 अधिकतम आयु सीमा तथा सेवा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को आधार मानकर की जाएगी।
- 1.8 अभ्यर्थी के चयन एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद परियोजना में सेवा अवधि चयनित अभ्यर्थी के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जायेगी। प्रतिनियुक्ति किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक का होगा।
- 1.9 अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ समस्त अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। पृथक से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 1.10 अपूर्ण आवेदन व वांछित योग्यता न रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। जिसकी सूचना आवेदक को दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 1.11 पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2025 की सांय 05 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद" ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, रायपुर देहरादून में पहुँच जाने चाहिए। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- 1.12 आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचनाएं असत्य पाये जाने पर आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 1.13 आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नियुक्ति हेतु वरीयता क्रम में विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- 1.14 समन्वयक के पदों पर रिक्ति की स्थिति निम्नवत है:—(रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	रिक्त पद
1	राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड	2
2	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा चमोली	2
3	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा चम्पावत	1
4	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा बागेश्वर	2
5	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा रुद्रप्रयाग	1
6	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा ऊधमसिंह नगर	1
7	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा नैनीताल	1
8	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अल्मोड़ा	4
9	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा पिथौरागढ़	0
10	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा हरिद्वार	2
11	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा टिहरी	1
12	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा पौड़ी	1
13	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा देहरादून	3
14	जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तरकाशी	1
योग		22

- 1.15 अर्ह आवेदकों की मैरिट सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूची उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद की वेबसाईट <http://ssa.uk.gov.in> एवं <http://schooleducation.uk.gov.in> पर अपलोड की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पृथक से भी सूचित किया जायेगा।
- 1.16 इस विज्ञप्ति की वैधता 31 मार्च 2026 तक रहेगी तथा इस अवधि में आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर मेरिट सूची से समन्वयकों की तैनाती की जायेगी।
- 1.17 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यथास्थान गुणांक के आधार पर अर्जित अंकों की अंकना की जायेगी। समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता के आधार पर अधिभार प्रदान किया जायेगा।
- 1.18 अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया हेतु बुलाए जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 1.19 प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रवक्ता द्वारा लिखित में यह घोषणा पत्र दिया जाना होगा कि उनके द्वारा न्यूनतम तीन वर्षों तक प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने का अनुरोध नहीं किया जायेगा।

- 1.20 आवेदकों को जनपद आवंटित काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे। काउन्सिलिंग की तिथि से पृथक से अवगत कराया जायेगा। काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु नियमानुसार अवकाश देय होगा।
- 1.21 आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी माध्यमिक स्तर के लिए सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष होंगे, एस0सी0ई0आर0टी0 हेतु सम्बन्धित अपर निदेशक तथा डायट हेतु सम्बन्धित प्राचार्य होंगे। जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार आवेदित किया जाना होगा।

2. चयन प्रक्रिया:-

समन्वयक के पदों पर चयन शैक्षिक गुणांक के आधार पर तैयार मैरिट के अनुरूप किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा:-

➤ हाईस्कूल	—	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 1/10
➤ इण्टरमीडिएट	—	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 2/10
➤ स्नातक	—	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 3/10
➤ स्नातकोत्तर	—	प्राप्तांकों का प्रतिशत X 4/10
➤ बी0एड0/एल0टी0	—	प्रथम/प्रथम — 12, 12
		द्वितीय/द्वितीय — 06, 06
		तृतीय/तृतीय — 03, 03


(डॉ० मुकुल कुमार सती),
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
राज्य समन्वयक एवं जिला समन्वयक के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवंटित कोड़ (राज्य स्तर से आवंटित किया जायेगा)

--	--	--	--

- 1- आवेदित पद का नाम-
- 2- आवेदक का नाम- (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
- 3- पिता/पति का नाम-
- 4- जन्म तिथि-
- 5- विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को आयु- वर्ष-..... माह-..... दिन-.....
- 6- वर्तमान धारित पद-..... वेतन लेवल-
- 7- वर्तमान धारित पद पर कार्य करने की तिथि-
- 8- आवेदित पद हेतु निर्धारित वेतनमान एवं धारित पद पर कुल सेवा अवधि-
वर्ष-..... माह-..... दिन-.....
- 9-राजकीय सेवा में सेवा अवधि का विवरण-

अग्रसारण अधिकारी
द्वारा प्रमाणित
नवीनतम फोटो

क्र०सं०	पदनाम (विषय सहित)	कार्य करने की तिथि		कुल अवधि	वेतनमान
		कब से	कब तक		
1					
2					
3					
4					

- 10-वर्तमान संस्था का नाम-
- 11-स्थायी पता-
- 12-पत्राचार का पता-
- 13-दूरभाष/मोबाइल न०- ई-मेल
- 14- शैक्षिक योग्यता का विवरण (अंक पत्र व प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)-

क्र० सं०	परीक्षा	वर्ष	विषय	बोर्ड/संस्था/वि०वि०	श्रेणी	उत्तीर्ण प्रतिशत	अर्जित अंक
1	हाई स्कूल						
2	इण्टर						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	प्रशिक्षण (बी०एड० आदि)						
6	अन्य						

15-संलग्नकों का विवरण-

1.
4.

2.
5.

3.
6.

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम-

मा0 न्यायालयी वाद न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 का किसी भी माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद नहीं चल रहा है तथा ना ही किसी भी प्रकार का वाद लम्बित है।

ह0/—

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

अनुशासनात्मक कार्यवाही न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा ना ही किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही गतिमान है।

ह0/—

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालयी अभिलेखों के अनुसार श्री/श्रीमती/कु0 को विगत 05 वर्षों में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली है तथा ना ही किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही गतिमान है।

ह0/—

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)

शासनादेशानुसार आवेदन हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या 287698/XXVII(10)/E-77990/2025 दिनांक 01 अप्रैल, 2025 में निहित नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन किया गया है।

ह0/—

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष
(नाम एवं मोहर सहित)